18. फैजाबाद
19. गंगा नगर
20. गंगटोक
21. गया
22. गाजीपुर
23. गोपालपुर
24. इटानगर
25. हुबली
26. जगदलपुर
27. जलगांव
28. जम्मू
29. जयपोर
30. झारसुगुड़ा
31. जालन्धर
32. किस्तवार
33. कोल्हापुर
34. मद्रास
35. मंगलौर
36. मीसा
37. नाजिरा
38. पठानकोट
39. पटियाला
40. पाण्डीचेरी
41. पूंछ
42. पूर्णिया
43. रायचूर
44. राजौरी
45. रूपसी
46. सदिया
47. शिमला
48. शोलापुर
49. थांजावूर
50. तिरु नेलवेली
51. तूतीकोरिन

सर गंगाराम अस्पताल को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना

252. **श्री रामसिंहभाई पातलीयाभाई राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर गंगाराम अस्पताल, दिल्ली के कर्मचारियों के संघ, सामाजिक संस्थाओं अथवा संसद सदस्यों आदि ने यह मांग की है कि वहां पर व्यापत हेरा-फेरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसे केन्द्रीय सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन के अधीन लाया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां ।

(ख) सर गंगाराम अस्पताल के कर्मचारी संघ ने एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है जसमें 27 मांगें हैं, जिनमें सरकार द्वारा इस अस्पताल को अपने हाथ में लेने, सं विदा पर मजदूर न रखने, सुरक्षा गार्डों को अस्पताल का कर्मचारी मानने, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का संरक्षण हटाने शव गृह को अन्यत्र स्थानान्तरित करने, और अधिक स्टाफ क्वाटरों का निर्माण करने, पारी ड्यूटी को विनियमित करने आदि मांगें शामिल हैं ।

(ग) सरकार की नीति दिल्ली की आबादी को सुविधाएं प्रदान कर रहे निजी अस्पतालों को अपने हाथ में लेने की नहीं है ।